प्रेस विज्ञप्ति

13-02-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने श्रीकांत घंटे और अन्य के मामले में 12.02.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 64.16 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां श्रीकांत घंटे और सुभाष दुबे के नाम पर पंजीकृत भूखंड और आवासीय भवन के रूप में हैं।

ईडी ने इंदौर के एमजी रोड पुलिस स्टेशन द्वारा नव भारत गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, इंदौर में की गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए श्रीकांत घंटे और नव भारत गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, इंदौर के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 409, 420, 120 बी (जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में एक सुनियोजित घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें नव भारत हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंदौर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के सदस्य शामिल थे। उन्होंने नव भारत हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंड से खरीदी गई जमीन को अलग-अलग संस्थाओं को बेचकर और इस तरह फंड का गबन करके अपने ही संगठन के सदस्यों को बेईमानी से धोखा दिया। सोसाइटी के सदस्यों को धोखा देकर और जमीन की बिक्री से प्राप्त आय के असंबोधित रिकॉर्ड को नष्ट करके अपराध की आय अर्जित की गई। अवैध रूप से गबन किए गए फंड को व्यवस्थित रूप से अलग-अलग स्तरों पर जमा किया गया और बाद में अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।

आगे की जांच हो रही है।